न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रभुदयाल शर्मा आर0ए0एस0
वाद सं0 71/12
निर्णय दिनांकः 14.06.2018

1. सेवा पुत्र चन्द्रा
2. बिरदा पुत्र चन्द्रा
   समस्त जाति बलाई नि0 सिरोहीखुर्द तह0 फुलेरा जिला जयपुर

प्रार्थीगण

बनाम

1. नारायण पुत्र श्योराम
2. रामरतन पुत्र श्योराम
3. रामजीवण पुत्र योराम
4. मांगू पुत्र चन्द्रा फौत जरिये कायम मुकामान
   4/1 भंवरलाल पुत्र स्व0 मांगू
   4/2 योजीराम पुत्र स्व0 मांगू
   4/3 बालूराम पुत्र स्व0 मांगू
   4/4 सुवादेवी पुत्री स्व0 मांगू
   4/5 सायरदेवी पुत्री स्व0 मांगू
   4/6 अनोपदेवी पुत्री स्व0 मांगू
   4/7 भूरीदेवी पुत्री स्व0 मांगू
5. छोटू पुत्र चन्द्रा
6. नंदा पुत्र चन्द्रा फौत जरिये कायम मुकामान
   6/1 सांझादेवी पत्नि स्व0 नंदाराम
   6/2 कानाराम पुत्र स्व0 नंदाराम
   6/3 मंगलचन्द पुत्र स्व0 नंदाराम
   6/4 कमलादेवी पुत्री स्व0 नंदाराम
   6/5 चौथीदेवी पुत्री स्व0 नंदाराम
   समस्त जाति गुर्जर नि0 सिरोहीखुर्द तह0 फुलेरा जिला जयपुर
7. गीतादेवी पत्नि गोपालकिशन कौम बलाई नि0 सोलावता
8. तहसीलदार तहसील फुलेरा मु0 सांभरलेक

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 1#31/136 भू–राजस्व अधिनियम बाबत दुरूस्ती किये जाने राजस्व नक्शें में तरमीम

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Scanned by CamScanner

संक्षिप्त में वाकयात इस प्रकार है कि आराजी खं0नं0 222/3 रकबा 9 बीघा 15 विस्वा तथा खं0नं0 2/2 रकबा 10 बीघा वाकै ग्राम सिरोहीखुर्द तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में स्थित है जो प्रार्थीगण के कब्जें काश्त व खातेदारी की है तथा राजस्व रिकोर्ड में प्रार्थीगण के नाम से दर्ज है। उपरोक्त भूमि का पर्चा सेटलमेन्ट प्रार्थीगण के बुजुर्गो के नाम से जारी किया गया था जिनकी मृत्यु के पश्चात् विरासत मे प्राप्त होने से प्रार्थीगण उक्त भूमि पर काबिज होकर उसका शान्तिपूर्वक उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थीगण की भूमि जिसके राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी में खं0नं0 222/3 रकबा 9 बीघा 15 विस्वा दर्ज है इसी भूमि पर प्रार्थीगण वर्षो से काबिज काश्त है लेकिन नक्शें में उक्त खं0नं0 के स्थान खं0नं0 222/2/1 दर्ज है जो गलत दर्ज है मोके पर प्रार्थीगण का कब्जा खं0नं0 222/3 पर है जबकि राजस्व नक्शें में उक्त खं0नं0 की जगह खं0नं0 222/2/1 दर्ज हो रखा है जिसका रकबा 9 बीघा ही रिकोर्ड में दर्ज है जो प्रार्थीगण की आराजी से 15 विस्वा कम है। खं0नं0 222/2 की खातेदारी अप्रार्थी सं0 1 लगा0 6 के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है तथा खं0नं0 222/2 का रकबा 9 बीघा का है जो प्रार्थीगण की आराजी खं0नं0 222/3 से कम है। इसी प्रकार से खं0नं0 2/2 रकबा 10 बीघा जिसकी खातेदारी प्रार्थीगण के नाम से दर्ज है उसके नक्शें में भी खं0नं0 2/3 गलत दर्ज हो रखा है प्रार्थीगण का कब्जा काश्त खं0नं0 2/2 रकबा 10 बीघा भूमि पर है तथा खं0नं0 2/3 जो अप्रार्थी सं0 7 के नाम दर्ज है जिसका रकबा केवल मात्र 3 बीघा 11 विस्वा है। नक्शें में उक्त प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खं0नं0 222/3 के स्थान पर खं0नं0 222/2/1 तथा इसी प्रकार नक्शें में खं0नं0 2/2 के स्थान पर खं0नं0 2/3 का गलत अंकन हो रखा है जिससे प्रार्थीगण को काफी असुविधा होती है प्रार्थीगण अपनी आराजी का न तो सीमाज्ञान करवा सकते है ना ही उचित ढंग से विकसित कर सकते है तथा ना ही सीमाचिन्ह अंकित करवा सकते है इसलिए उपरोक्त आराजीयात के राजस्व नक्शें में न्यायहित में खं0नं0 222/2/1 के स्थान खं0नं0 222/3 व खं0नं0 222/2/3 के स्थान 222/2/1 का अंकन किया जाना आवश्यक है इसी प्रकार राजस्व नक्शें में खं0नं0 2/2 के स्थान पर 2/3 तथा 2/3 के स्थान पर 2/2 का अंकन किया जाना आवश्यक है ताकि प्रार्थीगण के राजस्व रिकोर्ड में खातेदारी नम्बरों का नक्शें में सही अंकन होकर तरमीम हो सके इस बाबत् अप्रार्थी सं0 8 को आदेश दिया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण ने दिनांक 09.07.12 को पटवारी हल्का से सीमाज्ञान करवाने हेतु जानकारी चाही तो नक्शें में उक्त गलत अंकन की जानकारी होने पर प्रार्थीगण ने तहसीलदार महोदय सांभर से उक्त नक्शें में दुरूस्ती करने बाबत् एक प्रा0पत्र दिनांक 11.07.12 को प्रस्तुत किया लेकिन प्रार्थीगण ने

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Scanned by CamScanner

प्रा0पत्र पर कोई कार्यवाही तहसीलदार महोदय ने नहीं की ओर न्यायालय से आदेश लाने को कहा इसलिए उक्त प्रा0पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना आवश्यक हुआ है।

अप्रार्थी सं0 1 की ओर से वकील भागचन्द सांभरिया व अप्रार्थी सं0 7 की ओर से योगेश शुक्ला ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी सं0 7 की ओर से जवाब पेश किया गया। दिनांक 05.07.16 को प्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थी सं0 7 के विरूद्व प्रा0पत्र विड्रो किये जाने का प्रा0पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र का अवलोलन कर सुना गया बाद स्वीकार कर अप्रार्थी सं0 7 के विरूद्व विड्रो की अनुमति दी गई शेष पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा का प्रा0पत्र पृथक से पेश किया जो स्वीकार कर शामिल पत्रावली किया गया । चूकिं प्रा0पत्र अप्रार्थी रामजीवण, सुवादेवी, सायरदेवी, अनोपदेवी, नूरीदेवी, साझादेवी, कमलादेवी, चौथीदेवी आज किसी कारणवंश उपस्थित नहीं हो सकी उनकी ओर से प्रार्थीगण ने आगामी पेशी पर राजीनामा पेश करने हेतु अवसर चाहा। पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प न्याय आपके द्वार 2018 अटल सेवा केन्द्र श्रीरामपुरा में पेश हुयी। प्रतिवादी सं0 2 उपस्थित है। पक्षकारान उपस्थित है। मजमेंआम में सुना गया। पक्षकारान ने उक्त प्रा0पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया जिस पर पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया अवलोकन करने के पश्चात् प्रार्थीगण का प्रा0पत्र स्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रा0पत्र राजस्व लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाकर राजस्व नक्शे में खं0नं0 222/2/1 के स्थान पर खं0नं0 222/3 व खं0नं0 222/2/3 के स्थान पर खं0नं0 222/2/1 तथा खं0नं0 2/2 के स्थान पर खं0नं0 2/3 तथा खं0नं0 2/3 के स्थान पर खं0नं0 2/2 दुरूस्त करने हेतु तहसीलदार फुलेरा को लेण्ड रिकोर्ड रूल्स 59 से 68 व 86 के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार फुलेरा को ~~राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद~~ अनुसार कार्यवाही हेतु तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनांक 14.06.18 को खुले राजस्व लोक अदालत केम्प श्रीरामपुरा में टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभरलेक